

प्रति,

दिनांक 02/11/2020

महानिदेशक
सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़
रायपुर

विषय:- डॉ. आशीष कुमार सिन्हा, डायरेक्टर मेडिकल (अतिरिक्त प्रभार) सिकल सेल संस्थान छ.ग., रायपुर, के द्वारा संस्थान के समस्त कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने बाबत शिकायत।

महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि डॉ. आशीष कुमार सिन्हा सिकल सेल संस्थान छ.ग., रायपुर में डायरेक्टर मेडिकल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर दिनांक 01/04/2020 से पदस्थ है, के द्वारा संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निरंतर प्रताड़ित किया जा रहा है।

1. डॉ. आशीष कुमार सिन्हा के द्वारा संस्थान में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने गाली गलौच व अशोभनीय बर्ताव किया जाता है।
2. उनके द्वारा महिला कर्मचारियों के सामने भी गाली गलौच किया जाता है, जिससे महिलायें असहज महसूस करती हैं।
3. डॉ. आशीष कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री से पहुंच होने की धौंस दिखाते हुए संस्थान के कर्मचारियों को सी.आर (गोपनीय प्रतिवेदन) खराब कर देने तथा नौकरी से निकाल देने की आये दिन धमकी देते रहते हैं, जिससे संस्थान के सभी कर्मचारियों में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त है।
4. संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से डॉ. आशीष कुमार सिन्हा के द्वारा महानिदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना अथवा बिना उनके संज्ञान में लाए अपनी मनमानी करते हुए कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, जबकि डायरेक्टर मेडिकल स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं हैं।

अवगत होवें कि संस्थान के "ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा छ.ग. के द्वारा जारी आदेश के अनुसार महानिदेशक ही संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अथवा नोटिस जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ हैं।

क्रमशः.....2

5. डॉ. आशीष कुमार सिन्हा के द्वारा सिकल सेल संस्थान छ.ग. की ईथिकल कमेटी में अनाधिकृत रूप से सदस्य सचिव एवं उपाध्यक्ष बनने के लिए अनुचित दबाव बनाया, जबकि वे आई.सी.एम.आर के नियमानुसार सिकल सेल संस्थान छ.ग. के ईथिकल कमेटी में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि वे संस्थान में डायरेक्टर मेडिकल पद पर कार्यरत है।
6. डॉ. आशीष कुमार सिन्हा सिकल सेल संस्थान छ.ग. में डायरेक्टर मेडिकल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर कार्यरत हैं, जो कि संस्थान के केवल मेडिकल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी वे संस्थान के अन्य विभागों जैसे- शोध, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक (स्थापना, लेखा, बजट, स्टोर एवं मेंटेनेंस) विभाग की नस्त्रियों एवं फाईलों को दबावपूर्वक अपने पास मंगवाते हैं तथा शाखा प्रभारियों पर अनुचित दबाव बनाते हैं और फाईल को अनाधिकृत रूप से अपने पास लंबित रखते हैं, जिससे संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में अनावश्यक विलंब होता है तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

अवगत होना चाहेंगे कि संस्थान के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार डायरेक्टर मेडिकल केवल संस्थान के मेडिकल विभाग के संचालन के लिए ही अधिकृत है तथा उनके द्वारा अन्य विभागों के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जाना अनुचित एवं नियम विरुद्ध है।

7. डॉ. आशीष कुमार सिन्हा के द्वारा सिकल सेल संस्थान के सभी विभागों के क्लर्क एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को मेडिकल रिकॉर्ड की डाटा एंट्री करने के लिए दबाव बनाते हुए प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है, जबकि उनके द्वारा इस कार्य हेतु पृथक से 05 कम्प्यूटर ऑपरेटर को कलेक्टर दर पर रखा गया है। अवगत होवे कि संस्थान में 01 मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर तथा MRD शाखा में 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर पूर्व से ही कार्यरत हैं, तथापि अन्य शाखा के क्लर्क एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को मेडिकल रिकॉर्ड की डाटा एंट्री के कार्य में लगाने से ऑफिस के दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

क्रमशः...3



About SCIC

Home

ABOUT SCIC

CONTACTS

INSTITUTE JOURNAL

RTI OFFICER

About SCIC > Organizational Structure

Governing Council - Governing Council is chaired by Honourable Minister, Health & Family Welfare, Govt. of Chhattisgarh. Members include Secretaries of departments of Finance, Health & Family welfare, Law & Legislative Affairs, Govt. of Chhattisgarh respectively, Vice Chancellor of the Ayush And Health Science University of Chhattisgarh, Raipur, Commissioner- Health & Family Welfare, Govt. of Chhattisgarh, Director (Medical Education), Director (Health Services), Director (Ayush) and Collector – District Raipur. Director General of the Sickle Cell Institute Chhattisgarh serves as Member Secretary of the Governing Council. Honourable Chairman can nominate three invited members viz., renowned scientists of the country working in the field of hemoglobinopathies. State Government nominate two members viz., public representative.

Director General of the Sickle Cell Institute Chhattisgarh serves as Chief Executive Officer of the institute and organizational structure of Sickle Cell Institute Chhattisgarh, Raipur is as follows :

